न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेशकुमार, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 06/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/00938

अपीलार्थी	बनाम	उतरदातागण
श्रीमती बरगत बानो पुत्री भीखें खां पत्नी जुसब खां जाति मोयला मुसलमान निवासी कल्याणपुर हाल भीखो का वास,राखी तहसील समदड़ी		1.ग्राम पंचायत कल्याणपुर जरिए सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुर 2.अकबर आजम पुत्र भीखे खां 3.गुलेखां पुत्र भीखे खां 4.साबिर खां पुत्र भीखे खां 5.फिरोज खां पुत्र भीखे खां जामि मोयला मुसलमान निवासी कल्याणपुर 6.हमीदा पुत्री भीखे खां पत्नी हकीम खां जाति मोयला मुसलमान निवासी कल्याणपुर हाल राईको का वास,रूड़कली तहसील व जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2606 जो सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा आदेश दिनांक शून्य को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता अपीलार्थी

2.श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता उतरदाता संख्या 03 व 4

3.श्री उमरदीन मेहर अधिवक्ता उतरदाता संख्या 05

4.श्री प्रेमराज पंवार अधिवक्ता उतरदाता संख्या 02

5.उतरदाता संख्या 1 व 6 एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 26.07.2024

1.संक्षिप्त में अपील के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि भीखे खां की खातेदारी भूमि ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 998/296 रकबा [illegible] भूमि अवस्थित थी। भीखे खां के वारिसान अपीलार्थी व उतरदाता संख्या 02 से 06 है। विवादित [illegible] पुश्तैनी होने के कारण भीखे खां के वारिसान का बहिस्सा बराबर हक हिस्सा निहित [illegible] तथा अपने हिस्सेनुसार [illegible] पर कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। भीखे खां के देहान्त दिनांक [illegible]6.1.2020 को हुआ था तथा [illegible] खां के फौत होने पर उसके समस्त वारिसान के नाम नामान्तकरण दायर करने के बजाय उतरदाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:09:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

संख्या 02 से 05 ने अपीलार्थी के हितो के साथ कुठारघात करते हुए भीखे खां के वारिसान् अपने–आप को बताते हुए उतरदाता संख्या 01 के साथ मिली–भगत करते हुए एकतरफा आलोच्य नामान्तकरण संख्या 2606 को पारित किया गया,जो कि प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी की श्रेणी में है। अपीलार्थी के नाम नामान्तकरण नहीं भरा गया। अपीलार्थी को उक्त तथ्यों का ज्ञान होते ही अन्दर मयाद हस्तगत अपील पेश की गई। अतः अपीलार्थी की अपील अन्दर मयाद मुनासिब कर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त करते अपीलार्थी का नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को प्रकरण प्रतिप्रेषित करवाने हेतु अपील पेश की गई।

2.अपीलार्थी की अपील मयाद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदाता को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता श्री दिनेश कुमावत द्वारा उतरदाता संख्या 03 व 04 की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा उतरदाता संख्या 04 की तरफ से अपीलार्थी की अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर अपील खारिज करने का निवेदन किया गया। उतरदाता संख्या 02,3 व 05 की ओर से अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किए जाने का इकबाली जवाब पेश किया गया। उतरदाता संख्या 1 व 6 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी के पिता भीखे खां की खातेदारी भूमि ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 998/296 रकबा 21.10 बीघा भूमि अवस्थित थी। भीखे खां चार पुत्र उतरदाता संख्या 2 से 5 व दो पुत्रिया अपीलार्थी व उतरदाता संख्या 06 है। विवादित आराजी पुश्तैनी होने के कारण भीखे खां के वारिसान अपीलार्थी व उतरदाता संख्या 02 से 06 बहिस्सा बराबर हक हिस्सा निहित है तथा अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। भीखे खां का निर्वसीयती देहान्त दिनांक 28.01.2020 को हुआ था,उतरदाता संख्या 02 से 05 ने अपीलार्थी के हितो के साथ कुठारघात करते हुए भीखें खां के वारिसान् अपने–आप को बताते हुए उतरदाता संख्या 01 के साथ मिली–भगत करते हुए एकतरफा आलोच्य नामान्तकरण संख्या 2606 को पारित किया गया,जो कि प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी की श्रेणी में है,क्योंकि आलोच्य नामान्तकरण अपीलार्थी को बिना सुने एवं बिना विधिक प्रकियाओं को अपनाए पारित किया गया हैं। आलोच्य अपीलाधीन आराजी में अपीलार्थी का राजस्व–रेकर्ड में नाम नहीं होने का उतरदाता नाजायज फायदा उठाते हुए अपीलार्थी को मौके पर से बेदखल करने पर उतारू हैं,जबकि अपीलाधीन भूमि अपीलार्थी के पिता भीखें खां की पुश्तैनी खातेदारी वक्त सेटलमेंट इन्द्राज होने पर अपीलार्थी का हक–हिस्सा प्राप्ति की अधिकारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि आलोच्य नामान्तकरण विधि–विरूद्ध पारित किए जाने के कारण आलोच्य नामा[illegible]या 2806 निरस्त कर भीखे खां के विधिक वारिसान् के नाम नए सिरे से नामान्तकरण पारित [illegible] तहसीलदार कल्याणपुर को प्रेषित करवाने का आदेश दिया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:09:55 IST
Reason: SelfAttested

4.उतरदाता संख्या 04 अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील गलत तथ्यों के आधार पर लाए जाने के कारण निरस्त योग्य हैं,क्योंकि अपीलार्थी का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विवादित आराजी पर काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले दिनांक 15.10.1955 से पहले काबिज नहीं थी। अपीलार्थी का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा न आज मौके पर कब्जा काश्त है। विवादित आराजी पर उत्तरदाता संख्या 02 से 04 का कब्जा काश्त है तथा उत्तरदाता संख्या 2 से 4 ही विवादित आराजी का उपयोग व उपभोग करते आ रहा है। अपीलार्थी उत्तरदाता संख्या 06 ने भीखे खां के जीवनकाल में निकाह के वक्त भीखे खां की जायदाद मे से अपने हक जबानी त्याग दिये थे तथा इसी तथ्यो को अपीलार्थी व उत्तरदाता संख्या 06 ने भीखे खां के देहान्त के पश्चात चालीसे पर इन्ही तथ्यों को बिरादरी के लोगो के सामने स्वीकार किया था तथा दोनो ने अपनी सहमति से भीखे खां के वफात के पश्चात फोतदगी नामान्तकरण अपने भाईयो उत्तरदाता संख्या 02 से 4 के नाम भरवा दिया था। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि अपीलार्थी को फौतदगी नामान्तकरण की शुरू से ही जानकारी होने के कारण आलोच्य नामान्तकरण अपील मयाद बाहर पेश की गई है। अपीलार्थी ने देरी का कोई माकूल कारण व स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जिससे देरी की अवधि को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। अन्तः में निवेदन किया कि अपीलार्थी का अपील मयाद बाहर पेश किए जाने के कारण खारिज की जावें। अपनी बहस के समर्थन में 2005(2)आर.आर.टी.पृष्ठ 1250,2005(2)आर.आर.टी.पृष्ठ 1253,आर.आर.टी. 2002(1) पृष्ठ 77 व आर.आर.टी.2002(1) पृष्ठ 79 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए।

5.उत्तरदाता संख्या 02 व 05 अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी भीखे खां की वारिस है तथा अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है,तो उत्तरदाता संख्या 02 व 05 को आपति नहीं है।

6.हम प्रकरण को सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु पर निर्णीत करना आवश्यक समझतें है। अव्वल तो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं नामान्तकरण संख्या 2606 के केवल अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तकरण विधि विरूद्व पारित किया गया है,क्योंकि अपीलाधीन भूमि के तत्कालीन खातेदार भीखे खां पुत्र हुसैन खां के फौतदगी नामान्तकरण भरने से पूर्व उसके विधिक वारिसान की जांच की जाकर तत्पश्चात कार्यवाही की जानी चाहिए थी,लेकिन उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा ऐसा नहीं किया गया,जो नियम से परे जाकर आदेश पारित किया गया है,ऐसे आदेश प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी की श्रेणी में आतें है,इसके लिए मयाद बिन्दू (परिसीमाकाल) को आधार मानकर अपील को अस्वीकार किया जाना अव्यवहारिक एवं अप्रासंगिक प्रतीत होता है। ऐसी दशा में मयाद के सम्बन्ध में उदार द्वष्टिकोण अपनाया जाना विधि और विधिक प्रक्रिया की प्राथमिक आवश्यकता है। अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश में होने तथा उनके द्वारा सम्बन्धित पटवारी से विवादित आराजी की नक्ल प्राप्त करने पर स्वंय का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने की जानकारी होने के अन्दर मयाद अपील प्रस्तुत किए जाने के आधार पर विलम्ब को माफ किये जाने के निवेदन को स्वीकार करना कानूनन उचित समझते है क्योंकि विधि एवं विधि का प्राथमिक उददेश्य यह होता है कि निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रक्रियागत प्रावधान निर्णय में साधन के रूप में होते है न कि स्वंय साध्य के रूप में। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम बखूबी साबित होने से एवं विधि संगत होने से स्वीकार किया जाना हम आवश्यक एवं उचित समझतें है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:09:55 IST
Reason: SelfAttested

7.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2606 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण करने के लिए सर्वप्रथम पक्षकार की मुख्य अनुतोष का संक्षिप्त विवेचन किया जाना उचित समझते हैं। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य बिन्दु उठाया कि मुतवफी भीखे खां अपीलार्थी के पिता लगते थे। भीखे खां के वारिसान में अपीलार्थी व उतरदाता संख्या 02 से 6 वारिस है। भीखे खां के फौत होने पर फौतदगी नामान्तकरण अपीलार्थी व उतरदाता संख्या 02 से 6 के नाम भरने के बजाय अकेले उतरदाता संख्या 02 से 06 के नाम भरा गया,जो कि विधि–विरूद्ध होने के कारण आलोच्य नामान्तकरण निरस्त किया जाकर भीखे खां के वारिसान अपीलार्थी व उतरदाता संख्या 02 से 5 के नाम नए सिरे से पारित किया जावें। इसके विपरीत उतरदाता संख्या 04 अधिवक्ता की आपति है कि आलोच्य नामान्तकरण पारित की जानकारी अपीलार्थी को शुरू से ही थी तथा अपीलार्थी द्वारा ही अपनी रजामदी के आधार पर अपने भाईयो उतरदाता संख्या 02 से 5 के पक्ष में नामान्तकरण भरवाया गया था। अपीलार्थी ने देरी का कोई माकूल कारण व स्पष्टीकरण नहीं दिया है,इस कारण अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने के कारण खारिज की जावें। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण करने के लिए आलोच्य नामान्तकरण संख्या 2606 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 2606 रकबा 21.10 बीघा भूमि भीखे खां पुत्र हुसेन खां कौम मोयला साकिन सा.देह खातेदार के नाम इन्द्राज थी। खातेदार भीखे खां पुत्र हुसेन खां फौत दिनांक 26.01.2020 को होने से मृत्यु प्रमाण पत्र एवं व शपथ –पत्र होने का उल्लेख करते हुए हल्का पटवारी कल्याणपुर द्वारा आलोच्य नामान्तकरण भरा गया,जिसे भू–अभिलेख निरीक्षक कल्याणपुर द्वारा जांच कर अंकन सही की टिप्पणी गई तथा सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा आलोच्य नामान्तकरण को स्वीकार किया गया। उक्त आलोच्य नामान्तकरण अवलोकन करने मात्र से भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य नामान्तकरण विधि विरूद्ध पारित किया गया है,क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण पारित से पूर्व विधिक प्रकियाओं की पालना किए बिना ही एकतरफा कार्यवाही करते आलोच्य नामान्तकरण पारित किया हैं,जो कि अपने आप में आलोच्य नामान्तकरण प्रारम्भः से ही शून्य की श्रेणी में आता हैं। न्यायालय हाजा यह भी स्पष्ट करना उचित समझता है कि उतरदाता 02,3 व 05 ने स्वीकार किया है कि अपीलार्थी उसकी बहिन है,जो भीखें खां की जायन्दा पुत्री है तथा अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने पर सहमति दी गई है। यहां यह स्पष्ट हो चुका है कि अपीलार्थी भीखे खां की वारिस है,जिसे उतरदाता संख्या 04 द्वारा भी मौन स्वीकार किया गया है। केवलमात्र बहस में तर्क दिया कि आलोच्य नामान्तकरण अपीलार्थी की जानकारी में भरा गया था। अपील देरी से पेश किए जाने के कारण अ[illegible] बाहर होने का बताकर खारिज करने का निवेदन किया,जो तर्क स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि [illegible] कथनों के आधार पर सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए जाने आवश्यक होते है,जो कि उतरदाता संख्या 04 अधिवक्ता पेश करने में सफल नहीं रहे है। व[illegible] उतरदाता संख्या 04 की ओर से 2005(2)आर.आर.टी.पृष्ठ 1250,2005(2)आर.आर.टी.पृष्ठ 1253,आर.आर.टी.2002(1) पृष्ठ 77 व आर.आर.टी.2002(1) पृष्ठ 79 न्यायिक द्रष्टांत हस्तगत प्रकरण की प्रकृति पर चस्पा नहीं होते है। जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:09:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

इसके विपरीत RRT 2002(1) पृष्ठ 257,2002(1) पृष्ठ 269, RRT 2016(1) पृष्ठ 371 में प्रतिपादित है कि नामान्तकरण पारित किए जाने से पूर्व उनके विधिक वारिसान् को बिना सूचित किए व सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नामान्तकरण शून्य हैं,ऐसा किसी भी समय निरस्त किया जा सकता हैं,ऐसे प्रकरणों में मयाद का प्रश्न आड़े नहीं आता है,क्योंकि हस्तगत प्रकरण में भी आलोच्य नामान्तकरण पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को न ही सूचित किया एवं न ही सुनवाई का अवसर दिया गया।

8.उपर्युक्त विवेचन के उपरांत भी न्यायालय हाजा यह उचित समझता है,कि हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन आराजी के संबध में मुतवफी भीखे खां पुत्र हुसेन खां के विधिक वारिसान की जांच कर अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण नए सिरे से पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार कल्याणपुर को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलार्थी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र धारा—5,परिसीमा अधिनियम—1963 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती है। अपील में हुए विलंब काल को माफ किया जाता है। लिहाजा अपीलार्थी की अपील अन्दर मयाद सुमार कर स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत कल्याणपुर के नामान्तकरण संख्या 2606 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुर के आदेश दिनांक शून्य को अपास्त कर,प्रकरण तहसीलदार कल्याणपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है,कि मुतवफी भीखे खां पुत्र हुसेन खां कौम मोयला सा.देह खातेदार के विधिक वारिसान की जांच करते हुए विधि में निहित सुसंगत प्रावधानों के तहत अपीलाधीन आराजी का नामान्तकरण नियमानुसार नये सिरें से पारित करे।

(राजेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 26·7·2024 को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:09:55 IST
Reason: SelfAttested